न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी चंदन दुबे (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0 51/ 19
दायरा दिनांक 19.06.2019
निर्णय दिनांक 03.07.2019

बउनवान

1. बाबू उम्र 60 वर्ष पुत्र माधो जाति धोबी निवासी असनावर तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. घीसी बाई पत्नी नन्दकिशोर ।। जातिगण धोबी
2. जगदीश पुत्र रामनिवास
3. कमलेश बाई पुत्री रामनिवास ।। निवासीगण असनावर
4. कोशल्या बाई पुत्री रामनिवास ।
5. शान्ती बाई पत्नी रामनिवास । तहसील किशनगंज
6. रमेश पुत्र माधो ।
7. दुलीचन्द पुत्र माधो । जिला बारां
8. प्रेमबाई पुत्री माधो ।
9. आबदा बाई पुत्री माधो । (राज0)
10. राज0सरकार जरिये तहसीलदार साहब किशनगंज जिला बारां

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा, 88,89,90,92ए,188 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :–26.06..2019

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,92ए,188 आर0टी0एक्ट जरिये अभिभाषक श्री रामकिशन नागर इस आशय का पेश किया

1. यह कि वाके ग्राम असनावर पटवार हल्का असनावर तहसील किशनगंज जिला बारां में खसरा सं. 67 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी–2 लगानी 0.78 रूपये, खसरा सं. 68/305 रकबा 05 बिस्वा किस्म खेडा–2 लगानी 0.35 रूपये, खसरा सं. 135 रकबा 13 बीघा किस्म बारानी–3 लगानी 5.20 रूपये,ख0न0 210 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय लगानी 04.90 रूपये, खसरा सं. 217 रकबा 12 बिस्वा किस्म बारानी–2 लगानी 0.36 रूपये, खसरा सं. 231 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी–2 लगानी 2.13 रूपये, खसरा सं. 233/ 311 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी–2 लगानी 4.56 रूपये, कुल 7 किता की 38 बीघा 11 बिस्वा स्थित है। जिसको वाद पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 9 की पुस्तेनी आराजीयात् है और वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 9 शामलाती खाते की है। वादी प्रतिवादी क्रम 2 लगायात 9 के साथ रिकार्डेड सह खातेदार कृषक दर्ज है। प्रतिवादी क्रम 1 विवादित आराजी मे हिस्सा 1/2 की रिकार्डेड सह खातेदार दर्ज है। तथा प्रतिवादी क्रम 2 लगायात 9 भी वादी के साथ रिकॉर्डेड सह खातेदार कृषक दर्ज है। वादी की मां छीता बाई पत्नी स्व0 माधो की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन वर्तमान जमाबन्दी मे से छीता बाई का नाम खारिज नही हुआ है। इसलिए वादी छीता बाई पत्नपी स्व0 माधो का नाम चालू राजस्व रिकॉर्ड से हटवाने का अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायात 9 के मध्य विवादित आराजी का मौखिक रूप से 10 साल पहले बंटवारा हो चुका है।

और मौखिक रूप से हुये बंटवारे के मुताबिक प्रतिवादी क्रम 8 प्रेम बाई एवं प्रतिवादी क्रम 9 आबदा बाई विवादित आराजी मे अपना कोई हिस्सा या अधिकार नही लिया है क्योकि प्रतिवादी क्रम 8 एवं 9 की शादियां हो चुकी है और प्रतिवादी क्रम 8 एवं 9 वर्तमान मे अपने अपने श्वसुराल मे निवास कर रही है। अतः वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 7 के पक्ष में अपना हिस्सा तर्क कर चालू राजस्व रिकॉर्ड से अपना नाम हटवाना चाहती है। इसलिए वादी प्रतिवादी क्रम 8 एवं 9 का नाम चालू राजस्व रिकॉर्ड से हटवाने का अधिकारी है।

3. यह कि विवादित भूमि मे वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 7 अपने–अपने हिस्से मे आयी भूमि को वर्तमान मे काश्त कर रहे है और उससे प्राप्त उपज का उपयोग व उपभोग करके अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे है। और वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 ने अपने अपने हिस्से मे आई भूमि पर कृषि विकास कार्य भी करवा रखे है।
4. यह कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 9 का संयुक्त खाता होने के कारण वादी अपने हिस्से मे आयी भूमि मे कृषि विकास कार्य जैसे ट्यूबवेल,विद्युत कनेक्शन, मेढबन्दी आदि कार्य नही करवा पा रहा है। और वादी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। इसलिए वादी का प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 के साथ संयुक्त खाता रख पाना संभव नही है।
5. यह कि वादी ने प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 से विवादित आराजी का बंटवारा कराने की दिनांक 18.05.2019 को मांग की तो प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 9 ने वादी को उसका हिस्सा अलग करवाने से और बंटवारा कराने से स्पष्ट इन्कार कर दिया इसी कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ है।
6. यह कि प्रतिवादी क्रम 10 विवादित भूमि का सुप्रिम लेण्ड होल्डर है जिसको वाद पत्र मे प्रोफार्मा पक्षकार बनाकर वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
7. यह कि वाद पत्र उचित न्याय शूल्क पर अवधि मध्य पेश है।
8. यह कि वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद खिलाफ प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वाकै ग्राम असनावर मे स्थित आराजी ख0सं0 67 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी–2 लगानी 0.78 रूपये, खसरा सं. 68/305 रकबा 05 बिस्वा किस्म खेडा–2 लगानी 0.35 रूपये, खसरा सं. 135 रकबा 13 बीघा किस्म बारानी–3 लगानी 5.20 रूपये,ख0न0 210 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय लगानी 04.90 रूपये, खसरा सं. 217 रकबा 12 बिस्वा किस्म बारानी–2 लगानी 0.36 रूपये, खसरा सं. 231 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी–2 लगानी 2.13 रूपये, खसरा सं. 233/ 311 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी–2 लगानी 4.56 रूपये, कुल 7 किता की 38 बीघा 11 बिस्वा मे से वादी का हिस्सा 1/ 8 पृथक से दर्ज किया जाकर पृथक से लगान राज कायम किया जाकर नक्शा ट्रेस मे तरमीम किया जावें। एवं प्रतिवादी गण का स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त मे दखल अन्दाजी न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे अन्य न्यायोचित सहायता वादी को दिलायी जावै।

रिपोर्ट सरिस्ता ली गई प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये नियत तिथि को प्रतिवादीगण की ओर से एड0 विजय नागर ने वकालतनामा पेश किया शामिल मिसल किया उभयपक्ष ने उपस्थित होकर इस आशय का राजीनामा पेश किया

1. यह कि वाकेग्राम असनावर पटवार हल्का असनावर तहसील किशनगंज जिला बारां में ख0सं0 67 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी–2 लगानी 0.78 रूपये, खसरा सं. 68/305 रकबा 05 बिस्वा किस्म खेडा–2 लगानी 0.35 रूपये, खसरा सं. 135 रकबा 13 बीघा किस्म बारानी–3 लगानी 5.20 रूपये,ख0न0 210 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय लगानी 04.90 रूपये, खसरा सं. 217 रकबा 12 बिस्वा किस्म बारानी–2 लगानी 0.36 रूपये, खसरा सं. 231 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी–2 लगानी 2.13 रूपये, खसरा सं. 233/ 311 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी–2 लगानी 4.56 रूपये,कुल 7 कित की 38 बीघा 11 बिस्वा स्थित है।

2. यह कि उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 9 की पुश्तैनी आराजी है। जिसमे वर्तमान मे वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 एवं 9 अपने–अपने हिस्से के रिकार्डेड सह खातेदार कृषक दर्ज है उक्त भूमि मे वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 के मध्य आपसी सहमति एवं स्वेच्छा से मौखिक रूप से बंटवारा हो चुका है। जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 एवं 7 अपने–अपने हिस्से पर वर्तमान मे काबिज काश्त है। और बंटवारे के मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 ने अपने–अपने हिस्से मे आई भूमि पर कृषि विकास कार्य भी करवा रखे है। इसलिए ग्राम असनावर खाता सं0 नयी 45 पुरानी 42 कुल किता 7 की 38 बीघा 11 बिस्वा मे वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 एवं 7 के खाते एवं हिस्से मे आपसी सहमति एवं स्वैच्छा से निम्नलिखित प्रकार से पृथक–पृथक भूमि चालू राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जावे।

(अ) वादी बाबू पुत्र माधो जाति धोबी निवासी असनावर तह0 किशनगंज

खसरा नं0	रकबा	किस्म भूमि	लगान
135 उत्तरी	06 बीघा 10 बिस्वा	बारानी–तृतीय	2.60 रूपये

(ब) प्रतिवादी क्रम 1.घीसी बाई पत्नी नन्दकिशोर जाति धोबी निवासी किशनगंज

खसरा नं0	रकबा	किस्म भूमि	लगान
67	01 बीघा 6 बिस्वा	बारानी –2	0.78 रूपये
68/305	5 बिस्वा	खेडा–2	0.35 रूपये
210	12 बीघा 05 बिस्वा	बारानी तृतीय	4.90 रूपये
217	12 बिस्वा	बारानी –2	0.36 रूपये
231	03 बीघा 11 बिस्वा	बारानी–2	2.31 रूपये
कुल 5 किता	**17 बीघा 19 बिस्वा**		**8.52 रूपये**

(स) प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 5 जगदीश पुत्र, कमलेश बाई,कोशल्या बाई पुत्रीयां,शांती बाई पत्नी रामनिवास जाति धोबी निवासी असनावर तहसील किशनगंज

खसरा नं0	रकबा	किस्म भूमि	लगान
135 दक्षिणी	06 बीघा 10 बिस्वा	बारानी–तृतीय	2.60 रूपये

(द) प्रतिवादी क्रम 6 रमेश पुत्र माधो जाति धोबी निवासी असनावर तहसील किशनगंज

खसरा नं0	रकबा	किस्म भूमि	लगान
233/ 311 उत्तरी	03 बीघा 16 बिस्वा	बारानी–2	2.28 रूपये

(य) प्रतिवादी क्रम 7 दुलीचन्द पुत्र माधो जाति धोबी निवासी असनावर तहसील किशनगंज

खसरा नं0	रकबा	किस्म भूमि	लगान
233/ 311 दक्षिणी	03 बीघा 16 बिस्वा	बारानी–2	2.28 रूपये

3. यह कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 6,7,8,9 की मां छीता बाई पत्नी स्व0 माधो की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन वर्तमान जमाबन्दी मे से छीता बाई का नाम दर्ज है। तथा प्रतिवादी क्रम 8 एवं 9 की शादियां हो चुकी है। और प्रतिवादी क्रम 8 एवं 9 वर्तमान मे अपने–अपने श्वसुराल मे निवास कर रही है। इसलिए प्रतिवादी क्रम 8 प्रेमबाई एवं प्रतिवादी क्रम 9 आबदा बाई ने उपरोक्त आराजी मे अपना कोई हिस्सा या अधिकार नही लिया है और अपना–अपना हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 7 के पक्ष मे तर्क कर दिया है। इसलिए मृतक छीताबाई एवं प्रतिवादी क्रम 8 व 9 का नाम चालू राजस्व रिकॉर्ड से हटा दिया जावे तो वादी प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 9 को कोई आपत्ति नही है।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वाकेग्राम असनावर पटवार हल्का असनावर तहसील किशनगंज जिला बारां में ख0सं0 67 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी–2 लगानी 0.78 रूपये, खसरा सं. 68/305 रकबा 05 बिस्वा किस्म खेडा–2 लगानी 0.35 रूपये, खसरा सं. 135 रकबा 13 बीघा किस्म बारानी–3 लगानी 5.20 रूपये,ख0न0 210 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय लगानी 04.90 रूपये, खसरा सं. 217 रकबा 12 बिस्वा किस्म बारानी–2 लगानी 0.36 रूपये, खसरा सं. 231 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी–2 लगानी 2.13 रूपये, खसरा सं. 233/ 311 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी–2 लगानी 4.56 रूपये,कुल 7 कित की 38 बीघा 11 बिस्वा में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 एवं 7 के मध्य खाता मुताबिक राजीनामा मद नं0 2 पृथक–पृथक कर चालू राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करने एवं मृतक छीताबाई तथा प्रतिवादी क्रम 8 प्रेम बाई एवं प्रतिवादी क्रम 9 आबदा बाई का नाम चालू राजस्व रिकॉर्ड खाते से हटाने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जावे।

राजीनामा मे वादीगण की पहचान अभिभाषक रामकिशन नागर ने की प्रतिवादीगण की पहचान अभि0 विजय नागर ने की । राजीनामा तस्दीक किया गया। लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुये राजीनामा अनुसार इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है कि वाकेग्राम असनावर पटवार हल्का असनावर तहसील किशनगंज जिला बारां में ख0सं0 67 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी–2 लगानी 0.78 रूपये, खसरा सं. 68/305 रकबा 05 बिस्वा किस्म खेडा–2 लगानी 0.35 रूपये, खसरा सं. 135 रकबा 13 बीघा किस्म बारानी–3 लगानी 5.20 रूपये,ख0न0 210 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय लगानी 04.90 रूपये, खसरा सं. 217 रकबा 12 बिस्वा किस्म बारानी–2 लगानी 0.36 रूपये, खसरा सं. 231 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी–2 लगानी 2.13 रूपये, खसरा सं. 233/ 311 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी–2 लगानी 4.56 रूपये,कुल 7 कित की 38 बीघा 11 बिस्वा मे से वादी बाबू पुत्र माधो जाति धोबी को ख0न0 135 उत्तरी 06 बीघा 10 बिस्वा व प्रतिवादी क्रम 1 धीसी बाई पत्नी नन्दकिशोर जाति धोबी को ख0न0 67 रकबा 01 बीघा 6 बिस्वा,ख0न0 68/305 रकबा 5 बिस्वा, ख0न0 210 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा, ख0न0 217 रकबा 12 बिस्वा,ख0न0 231 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा,कुल 5 किता कुल रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा एवं प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 5 जगदीश पुत्र, कमलेश बाई,कोशल्या बाई पुत्रीयां,शांती बाई पत्नी रामनिवास जाति धोबी ख0न0135 दक्षिणी रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा, प्रतिवादी क्रम 6 रमेश पुत्र माधो जाति धोबी निवासी असनावर को ख0न0 233/ 311 उत्तरी रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा,एवं प्रतिवादी क्रम 7 दुलीचन्द पुत्र माधो जाति धोबी निवासी असनावर ख0न0 233/ 311 दक्षिणी रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा पर खातेदार घोषित किया जाकर पृथक से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। प्रतिवादी क्रम 8 प्रेमबाई एवं प्रतिवादी क्रम 9 आबदा बाई का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो निर्णय आज दिनांक 03.07.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2019.08.01 15:25:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: